


12.04.23

दिनांक 11.04.23 को राजकीय भवकाश होने के कारण प्वावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी एवं वादी को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः यह बादपत्र अदम पैरवी एवं अदम हानिरी में इसी स्तर पर खालि किया जाता है। प्वावली बाद तरीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जूले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुमिता बिशनोई)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना ✓